न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/11/2022	2022/19	19.01.2022	26.04.2022

—उनवान—

1. डिगम्बर पुत्र कन्नी जाति जाट निवासी ग्राम दूधेरी तहसील कठूमर जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मोरध्वज पुत्र कन्नी जाति जाट निवासी ग्राम दूधेरी तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर।

—असल अप्रार्थीगण

3. निरंजन पुत्र कन्नी जाति जाट निवासी ग्राम दूधेरी तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. शिवसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम दूधेरी तहसील कठूमर जिला अलवर।
5. शेर सिंह पुत्र पदम सिंह जाति जाट निवासी ग्राम दूधेरी तहसील कठूमर जिला अलवर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री जगदीश प्रसाद नांदान —वकील प्रार्थी
02. श्री मूलचंद चौधरी —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कठूमर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान मोरध्वज बनाम डिगम्बर वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद मोरध्वज बनाम डिगम्बर वगै0 तकसीम आराजी एवं हुक्मइम्तनाई दवामी है। पाठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूची रखकर विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया जा रहा है। दिनांक 06.12.2021 को प्रारम्भिक डिकी पारित की गयी है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गयी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर एतराज करने का अवसर नहीं दिया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकियानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के साथ साज—बाज हो गये है। अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कई बार आते—जाते व बातचीत करते देखा गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रोर्थी को निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी का अप्रार्थीगण से कोई व्यक्तिगत लेना—देना नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जल्द बाजी में प्रकरण का निस्तारण का प्रयास कर रहे है। प्रकरण सन् 2019 से विचाराधीन है। गत तारीख पेशी दिनांक 06.12.2021 से सभी पक्षकारान् की सहमति से प्रारम्भिक डिकी पारित की गयी है। जिसमें प्रार्थी मोरध्वज के वकील के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद भी एतराज पेश किये जाने का भी अवसर दिया गया। प्रार्थी प्रकरण में अनावश्यक देरी करना चाहते है। इसी मंशा से झूठे तथ्य जाहिर करते हुए मौजूदा प्रा0पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण कोई राजनितिक व्यक्ति नहीं है ना ही कोई राजनितिक दबाव बनाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर अलवर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी का कथन झूठा व बेबुनियाद है। प्रार्थी का यह कथन कि प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु तारीख पेशी लगायी जा रही है। जो कानूनी रूप से गलत होना अंकित किया है। प्रार्थी का कथन बेबुनियाद है। न्यायालय में विचाराधीन समस्त वादों का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र प्रकरण को जानबूझकर लम्बित करने की नियत से पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी का किसी भी पक्षकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। फिर भी श्रीमान् उक्त प्रकरण को किसी भी न्यायालय में मुंतकिल करना चाहे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रकरण सन् 2019 से विचाराधीन है। गत तारीख पेशी दिनांक 06.12.2021 से सभी पक्षकारान् की सहमति से प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी है। मुताबिक आदेशिका दिनांक 17.01.2022 तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद भी एतराज पेश किये जाने का भी अवसर दिया गया। प्रा0पत्र मुंतकिल वाद के निस्तारण में देरी की मंशा से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)